

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साअधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 4, शुक्रवार शाके 1941-जुलाई 26, 2019 Sravana 4, Friday, Saka 1941-July 26, 2019	

भाग I (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 24, 2019

संख्या प.23(2)चिस्वा./ग्रुप-3/2003 पार्ट :-गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 57) की धारा 16क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड के गठन हेतु पूर्व में विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01.07.2003 के क्रम संख्या 9 से 16 पर उल्लेखित सदस्यों का निम्नानुसार मनोनयन करती है:-

1. डा0 एस0एल0 शर्मा, जयपुर (सामाजिक विज्ञानी)
2. एस0 पी0 दाधीच, एडवोकेट (विधि विशेषज्ञ)
3. डा0 पायल भारद्वाज (चैधरी) (महिला कार्यकर्ता)
4. मंजू शर्मा, जयपुर (महिला कार्यकर्ता)
5. अंजू शर्मा, वरिष्ठ आचार्य गायनी, जयपुर (महिला रोग विशेषज्ञ)
6. डा0 इंद्रु गौतम, सहायक आचार्य गायनी, जयपुर (महिला रोग विशेषज्ञ)
7. डा0 विवेक शर्मा, जयपुर (शिशु रोग विशेषज्ञ)
8. डा0 एम0एल0 गुप्ता जयपुर (अनुवांशिकी विज्ञानी)
9. डा0 राजीव आहूजा, जयपुर (रेडियोलॉजिस्ट)
10. डा0 मनीष कुमार जैन, जयपुर (सोनोलॉजिस्ट)

नोट:- उक्त सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से 3 वर्ष का होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से
 डा0 वीरेन्द्र सिंह,
 उप शासन सचिव।